कैबिनेट ने लिया निर्णय

सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के पट्टों की रजिस्ट्री कराएगी सरकार

25 602 परिवारों को मिले पट्टों की होगी रजिस्ट्री

06 सौ करोड़ से अधिक खर्च करेगी राज्य सरकार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 3 फरवरी. राज्य सरकार सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित परिवारों को मिले आवासीय पट्टों का अब अपने खर्चे पर रजिस्ट्री कराएगी. ऐसे लगभग 25602 परिवारों को मिले पट्टे की रजिस्ट्री कराने पर राज्य सरकार 600 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी. इन में से ज्यादातर परिवार जनजातीय समुदाय से हैं.

उन्हें परियोजना के कारण वर्ष 2016 में विस्थापित किया गया था, अब 9 वर्ष बाद रजिस्ट्री कराने से वे अपने आवास के पूर्ण स्वामी बन जाएंगे. रजिस्ट्री के लिए पंजीयन शुल्क और स्टॉम्प ड्यूटी की भरपाई करने की जिम्मेदारी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की होगी.

कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट ने मैहर एवं कटनी जिलें में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 620 करोड़ 65 लाख रूपये की भी मंजूरी दी है. मैहर एवं कटनी की धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना लागत 53 करोड़ 73 लाख रूपए है, इससे 3500 हेक्टयर में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होंगी और मैहर एवं कटनी जिले के 9 ग्राम के 2810 किसानों को फायदा होगा. इसी तरह कटनी जिले की बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 566 करोड 92 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है. इससे, कटनी जिले की बरही एवं विजयराघवगढ़ तहसील के 27 ग्राम के 11,500 किसान लाभान्वित होंगे और 20 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होंगी. दोनों ही परियोजना से 14310 किसानों को फायदा मिलेगा.

चलती रहेंगी संबल सहित 10 योजनाएं

कैबिनेट ने 6 विभागों की 10 योजनाओं की वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक निरंतरता के लिए 15,009 करोड़ रूपये से अधिक की मंजूरी दी है. निर्णय के मुताबिक वित्त विभाग की लोक वित्त पोषित 500 करोड़ से कम की 8 योजनाओं के लिए 115 करोड़ 6 लाख रुपये, श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल 2.0 योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपये, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना और स्थापना एवं कार्यालयीन योजनाओं के लिए 3 हजार 376 करोड़ 66 लाख रूपये, पशु पालन एवं डेयरी विभाग की डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ब्लॉकग्रांट योजना एवं पशुपालन, पशु विकास और गौ संवर्धन योजना के लिए 6 हजार 472 करोड़ 18 लाख रुपये, महिला एवं बाल विकास की किशोर कल्याण निधि योजना और घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना के लिए 24 करोड़ 70 लाख रूपये और पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कल्याण की अल्पसंख्यक स्वरोजगार/उद्यम योजना के लिए 21 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है. कैबिनेट ने मप्र राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग कर कर्मचारियों का संविलयन महिला बाल विकास विभाग में करने की स्वीकृति दे दी है. बोर्ड में 6 कर्मचारी पदस्थ थे.

जायदाद के लिए पुत्र ने की पिता की हत्या

छिन्दवाड़ा. बिछुआ थाना अंतर्गत ग्राम गोनावाड़ी में कलियुगी पुत्र ने जमीन जायदाद के बटबारे को लेकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया. मामले में पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है. ग्राम गोनावाड़ी में विगत 01 फरवरी को 58 वर्षीय पतिराम परतेती की अज्ञात कारणों से मृत्यु होने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घटना की तस्दीक करते हुए मर्ग कायम कर मामले की जांच आरम्भ की गई. पुलिस की विवेचना के दौरान मालूम पड़ा कि मृतक पतिराम के दो बेटे हैं. बबलू नाम के पुत्र को हत्या के मामले में गरिफ्तार किया गया है.

सीएम डॉ. मोहन यादव से केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने भेंट की

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की।

ओला-पाला वाले क्षेत्रों में सर्वे के निर्देश

- अनौपचारिक कैबिनेट में सीएम ने कहा
- प्रदेश के सभी अंचलों में कृषि कैबिनेट होगी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 3 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जहां-जहां भी ओला-पाला से फसलें प्रभावित हुई हैं, उन जिलों के कलेक्टर्स, सर्वे कराकर तत्काल सहायता राशि किसानों को उपलब्ध कराएं. किसानों के सभी प्रकार के हित सुनिश्चित करने और उनकी आय दोगुना करने के उद्देश्य से ही वर्ष-2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है.

कृषक कल्याण कृषि वर्ष में मालवा, निमाड़, चंबल और विंध्य अंचलों में कृषि कैबिनेट आयोजित की जाएगी. कृषि के साथ उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट से पहले अनौपचारिक कैबिनेट में मंत्रियों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने हाल के कार्यक्रमों की जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया. पुष्प उत्पादन और देश-विदेश में फूलों की बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा. प्रदेश में नरवाई प्रबंधन और पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.

भावांतर योजना में सरसों और अन्य तिलहन फसलों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है. मूंग के स्थान पर उड़द को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाई जा रही है। इसके लिए किसानों को प्रेरित करना आवश्यक है.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में राज्य स्तरीय एमपी यूथ गेम्स-2026 के भव्य आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रतिष्ठित आयोजनों में देशज खेलों को भी शामिल किया जाए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा मेडिकल कॉलेज में 750 बेड की क्षमता वृद्धि की गई है. प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीपशुपतिनाथ लोक में विकसित की गई सुविधाओं और प्रतिमा के क्षरण को रोकने के लिए किए गए उपाय को अनुकरणीय बताया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्रों में केंद्रीय बजट की विशेषताओं से जनसामान्य को अवगत कराने के निर्देश दिए.

कलेक्ट्रेट में शिकायतों का अंबार, राजस्व-नौकरी ठगी की शिकायतें

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 3 फरवरी। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में राजस्व मामलों, नौकरी के नाम पर ठगी और औद्योगिक कंपनियों से जुड़े मामलों को लेकर सैकड़ों पीड़ित उम्मीद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन अधिकांश को सिर्फ आश्वासन और आवेदन की पावती ही नसीब हुई।

बता दें कि जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने बताया कि जमीन सीमांकन, मुआवजा, फर्जी नियुक्ति पत्र, नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी और औद्योगिक कंपनियों द्वारा नियमों की अनदेखी जैसे गंभीर मामले बार-बार उठाए जा रहे हैं। फिर भी समस्या का निदान नही हो पा रहा है।

रिलायंस कोल माइंस पर अवैध डंपिंग का आरोप- रिलायंस कोल माइंस पर निजी भूमि पर अवैध रूप से डंपिंग किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़ित श्यामलाल शाह निवासी अमलोरी बस्ती भू-स्वामी का कहना है कि उसकी पैतृक जमीन पर बिना अधिग्रहण और बिना किसी सहमति के कंपनी द्वारा वर्षों से डंपिंग की जा रही है, जबकि आज तक न तो मुआवजा दिया गया और न ही कोई सुविधा। आरोप है कि शिकायत करने पर डंपिंग रोकने के बजाय उल्टा पीड़ित को ही परेशान किया जा रहा है। मामले को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई हैं।

रियल एस्टेट कंपनी पर पैसा हड़पने का आरोप

जनसुनवाई में पीड़िता विपनी केवट निवासी ग्राम गड़हरा, पोस्ट तियरा, थाना बैढ़न ने कलेक्टर गौरव बैनल से शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधियों ने बेहतर मुनाफे का झांसा देकर उससे और उसके परिचितों से अलग-अलग किस्तों में रकम साल 2013 में जमा कराई। तय अवधि पूरी होने के बाद जब पैसे वापस मांगे गए तो टालमटोल शुरू हो गई और अब तक एक भी रुपया वापस नहीं किया गया। पीड़िता ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर राशि वापस दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

चिकित्सकीय अधोसंरचना विकास में स्टेट ऑफ़ द आर्ट सुविधाओं को करें शामिल : शुक्ल

नवभारत न्यूज

रीवा, 3 फरवरी, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रीवा के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार कार्यों की विस्तृत समीक्षा की.

बैठक में प्रस्तावित निर्माण कार्यों, उपलब्ध अधोसंरचना और भविष्य की आवश्यकताओं पर गहन चर्चा की गई. उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि अस्पतालों के विस्तार एवं उन्नयन कार्यों में चिकित्सकीय सुविधाओं का गुणवत्तापूर्ण, सुगम एवं समयबद्ध प्रदाय सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ-साथ उनके परिजनों की सुविधा, सुरक्षा और सहज आवागमन का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे अस्पतालों में बेहतर उपचार के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी परिलक्षित हो. उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अधोसंरचना विकास के दौरान स्टेट ऑफ़ द आर्ट सुविधाओं को शामिल करने पर बल देते हुए कहा कि भवन निर्माण, वार्ड व्यवस्था, ओपीडी, डायग्नोस्टिक सुविधाओं और अन्य सहायक सेवाओं में आधुनिक मानकों का पालन किया जाए. साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की स्थापना के लिए आवश्यक प्रावधानों को योजना में सम्मिलित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समय-सीमा और तकनीकी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए, ताकि रीवा संभाग सहित आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को उन्नत एवं विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें. बैठक में आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा धनराजु एस, विभागीय अधिकारी और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.

कन्य आश्रम भवन निर्माण में गुणवत्ता के अनदेखी करने के आरोप

नवभारत न्यूज

सरई 3 फरवरी। जिले के सरई कन्या आश्रम विद्यालय में नए भवन का निर्माण एक करोड़ 75 लाख की लागत से किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन और लापरवाही पूर्ण तरीके से घटिया निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य में सुधार नहीं किया जा रहा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ठेकेदार की पहुंच उपर के सफेद पोशाक धारी तक है, जिससे वह अपनी मनमानी कर रहा है। आलम यह है कि पुराने छड़-सरिया लोहे का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें पूरी तरह से जंग लगा हुआ है।

सरकारी काम में अवैध रेत का भी उपयोग किया जा रहा है और सीमेंट की मात्रा कम और बालू की मात्रा ज्यादा उपयोग हो रहा है। इस मामले में प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ठेकेदार के खिलाफ जांच शुरू करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है।

श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी डंपर से टकराई, एक की मौत

मुरैना. जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रेवल्स गाड़ी सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई, जिससे उसमें सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में 11 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए मुरैना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा देर रात करीब डेढ़ बजे नेशनल हाईवे 44 पर स्थित बानमौर का बताया गया है, जब ट्रेवल्स सड़क किनारे खड़े डंपर से पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सभी श्रद्धालु झारखंड तरेसी जिला पलामू के निवासी बताए जाते हैं ओर सभी लोग उज्जैन महाकाल के दर्शनों के लिए ट्रेवल्स में सवार होकर जा रहे थे, यह हादसा हो गया. हादसे में उमेश गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई जबकि महिलाओं सहित ग्यारह श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए मुरैना के जिला अस्पताल में रात को ही भर्ती कर दिया गया है.

In The Court of I Civil Judge Class-I
District Court, Satna
Presiding Officer : **श्री प्रवीण कुमार सोधिया**
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCSA/2200060/2012)

वीरेन्द्र प्रताप सिंह ....वादी
Vs
बलुआ मल्लाह ..... प्रतिवादी

Process Id-273/2025 **पेशी दिनांक:-05.02.2026**

प्रेषिती- 1.बलुआ मल्लाह पिता कोमल मल्लाह पता-रामटेकरी कृपालपुर ग्राम सिजहटा तहसील रघुराजनगर जिला सतना, 2. भागवत मल्लाह पिता मेरू मल्लाह पता- रामटेकरी कृपालपुर ग्राम सिजहटा तहसील रघुराजनगर जिला सतना

यह कि प्रार्थी वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने आपके विरूद्ध आरसीएसए के लिये वाद संस्थित किया है .आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिय गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें . आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या भूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें . आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा . साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावों यह आज तारीख 24.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है.

(प्रवीण कुमार सोंधिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वनिष्ठ खण्ड सतना (म.प्र.)

न्यायालय की मुद्रा

कृपया ध्यान दें:- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा

जाहिर आम सूचना

सर्व साधारण व्यक्ति/संस्था/निकाय को इस सूचना के माध्यम से सूंचित किया जाता है ग्राम-अमरपुर, तहसील-बहरी, जिला-सीधी (म.प्र.) में स्थित भूमि सर्वे no. 230 एरिया 0.060 hect. पर तेजई उर्फ तेजभान, बाला, बिहारी राजू पिता जोखई गुप्ता का स्वत्व दर्ज था। इसी अधिकार के तहत एक भू स्वामी श्री तेजई उर्फ तेजभान ने भूमि सर्वे नंबर 230 में हिस्सा (1/4)-0.015 हेक्टेयर, पर पत्नी सुशीला गुप्ता के साथ सह-स्वामित्व विलेख निष्पादित किया है, जिस पर आरसीसी छतयुक्त पक्की दुकान निर्मित है। उक्त विलेख उप-पंजीयक ऑफिस सीधी में निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन क्रमांक **MP41841202022A11003015, dated-03/10/2022** था। इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूंचित किया जाता है की उक्त विलेख के संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/आमजन को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 3 दिवस के अंदर मेरे पक्षकार के कार्यालय **PNBHL** शाखा-सीधी (मो.6261335380) या मेरे कार्यालय चेम्बर no.103A, जिला-न्यायालय, सीधी-जिला-सीधी (म.प्र.) मो.9179636101 में कार्यालयीन समय 10 बजे से 5 बजे के मध्य लिखित/मौखिक व दूरभाष से दस्तावेजों सहित अपना पक्ष व आपत्ति प्रस्तुत करे। तय समय पश्चात किसी भी व्यक्ति/संस्था निकाय द्वारा की गई आपत्ति मान्य नही होगी और मेरा पक्षकार **PNBHL** उक्त विलेख को पाक साफ मानते हुये बंधक कर ऋण स्वीकृत करेगा।

स्थान-SIDHI दिनांक -06/01/2026

भवदीय
सुजीत सिंह एडवोकेट
चेम्बर न.103A जिला न्यायालय सीधी
जिला सीधी (म.प्र.)
मो.9179636101

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र)

क्रमांक 6303/स्टोर/2026 रीवा, दिनांक 3/2/26

निविदा आमंत्रण तृतीय अवसर सूचना वर्ष 2025-26

प्राचार्य शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु योजना क्रमांक 5550 पुस्तकालय विकास योजनान्तर्गत कंप्यूटर एवं प्रिंटर क्रय किया जाना है. अतः निविदा दिनांक 10.02.2026 शाम 04.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है. इच्छुक निविदाकार निविदा की विस्तृत शर्ते निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी स्टोर शाखा एवं महाविद्यालय की वेबसाइट www.trscollege.com से प्राप्त कर सकते है.

प्राचार्य,शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र)

क्रमांक 6283/स्टोर/2026 रीवा, दिनांक 31/1/26

निविदा आमंत्रण सूचना वर्ष 2025-26

प्राचार्य शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पुस्तकालय में पुस्तको के क्रय हेतु निविदा 16-02-2026 समय शाम 04 बजे तक आमंत्रित की जाती है. इच्छुक निविदाकार निविदा की विस्तृत शर्ते निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी पुस्तकालय एवं महाविद्यालय की वेबसाइट www.trscollege.com से प्राप्त कर सकते है.

प्राचार्य,शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र)

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग सतना

क्र. 139 / भू-अर्जन / 2026 सतना, दिनांक 28/01/2026

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. - एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन: - (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला - सतना (ख) तहसील - उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - दिनपुरा
(घ) क्षेत्रफल - 0.3610 हे0

क्र.	भूस्वामी का नाम / पिता का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकवा
1	2	3	5
1	ज्ञानेन्द्र सिंह पिता रामकिशोर सिंह जाति कुर्मी पता सहिजना उबारी सतना	172/1	0.3610
	योग		0.3610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की बरहटा माइनर के निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. सतीश कुमार एस.)
कलेक्टर
जिला सतना (म0प्र0)
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन
राजस्व विभाग

G-25259/25

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, (भ / स) संभाग सतना (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 37 / 2025 - 26 सतना, दिनांक 27.01.2026

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर ई.डी. क्रमांक	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्यपूर्ण करने की समयावधि	कार्य की अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2026_PWDRB_478250_1	उपसंभाग सतना अंतर्गत न्यू कलेक्टेट भवन धवारी सतना में स्थित कार्यालय जिला आबकारी के कक्ष क्रमांक 54 में रेनोवेशन, उमरम्मत एवं एम.ओ. डब्ल्यू. कार्य.	प्रथम	01 माह वर्षाकाल सहित	656519.01	13200.00	2000.00
2	2026_PWDRB_478251_1	उपसंभाग नागौद अंतर्गत उचेहरा परसमनिया दुरेहा मार्ग लंबाई 1/2 से 1/10 एवं 31/2 (100) से 743/6 = 13.50 कि.मी. मे विशेष मजबूतीकरण का कार्य।	प्रथम	03 माह वर्षाकाल सहित	31352365.82	313600.00	15000.00
3	2026_PWDRB_478252_1	उपसंभाग अमरपाटन अंतर्गत न्यू रामनगर के आंतरिक मार्ग (ओ.डी.आर.) लंबाई 15.00 कि. मी. मे विशेष मजबूतीकरण का कार्य।	प्रथम	03 माह वर्षाकाल सहित	31764356.13	317700.00	15000.00
4	2026_PWDRB_478253_1	उपसंभाग नागौद अंतर्गत उमरिहा सिजहटी जसो मार्ग (ओ.डी.आर.) लंबाई 6.25 कि.मी. मे विशेष मजबूतीकरण का कार्य।	प्रथम	02 माह वर्षाकाल सहित	13698578.65	137000.00	12500.00
5	2026_PWDRB_478254_1	उपसंभाग नागौद अंतर्गत एन. एच. 75 से रेरूआ पतवार मार्ग लंबाई 3.20 कि. मी. मे विशेष मजबूतीकरण का कार्य।	प्रथम	02 माह वर्षाकाल सहित	7137961.00	71400.00	10000.00
6	2026_PWDRB_478255_1	उपसंभाग अमरपाटन अंतर्गत गुलवार गुजारा के आंतरिक मार्ग (ओ.डी.आर.) लंबाई 6.00 कि. मी. मे विशेष मजबूतीकरण का कार्य।	प्रथम	02 माह वर्षाकाल सहित	11949121.00	120000.00	12500.00
7	2026_PWDRB_478256_1	उपसंभाग अमरपाटन अंतर्गत न्यू देवराजनगरके आंतरिक मार्ग (ओ.डी.आर.) लंबाई 4.45 कि.मी. मे विशेष मजबूतीकरण का कार्य।	प्रथम	02 माह वर्षाकाल सहित	9345653.27	93500.00	10000.00
8	2026_PWDRB_478257_1	उपसंभाग नागौद अंतर्गत 1- दुरेहा कपुरी अमसिल बमुरिहा माढ़ा टोला गंगवरिया धरमपुरा मार्ग 4.00 अमसिल कि.मी. 2 - नागौद उचेहरा मार्ग से पथरौधा पहुंच मार्ग 1.20 कि.मी. 3 - सिंहपुर पहुंच मार्ग 1. 00 कि.मी. 4 - सिंहपुर हड़खार मार्ग 4.20 कि. मी. 5 - भाद पहुंच मार्ग 1.00 कि.मी. 6 - मढ़ी पहुंच मार्ग 1.00 कि.मी. एवं 7 - विलौधा पहुंच मार्ग 2.20 कि.मी. 8 - बीरपुर से मझगंवा व्हाया पोड़ी पतौरा मार्ग 2.40 कि.मी., लंबाई- 0.80 कि.मी. 9 - कुलपुरा पहुंच मार्ग 10 - उंचेहरा किला से बायपास मार्ग 0.80 कि.मी. 11 - एन. एच. - 75 से रेरूआ पतवारा मार्ग 3.20 कि.मी. कुल लंबाई - 21.80 कि.मी. में एस. टी. एम. सी. के कार्य।	प्रथम	12 माह वर्षाकाल सहित	14253801.60	142600.00	12500.00
		योग-			120158356.48		

उपरोक्त वेबसाइट में आनॅलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) बेवसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने तथा आनॅलाइन बिड सबमीशन की अंतिम दिनांक 16.02.2026 सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है। ई.एम. डी. केवल आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी., एनएक्सर एच., शपथपत्र, बिड की रसीद एवं अन्य दस्तावेज केवल आनॅलाइन माध्यम से ही प्राप्त की जावेगी। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाईट पर किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ / स)
संभाग सतना (म.प्र.)

G-25290/25